परिशिष्ट-1

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, अकेलगढ़, कोटा– 324010

Ph No. -0744-2473092, 2473903 Fax No. 0744-2473903

वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 26.03.2008 का कार्यवाही विवरण

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची :–

अध्यक्ष

1 डॉ. दामोदर शर्मा
कुलपति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

सदस्य

2 प्रो. आर. सी. मिश्रा
प्रति कुलपति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

सदस्य

3 श्री गजेन्द्र सिंह, R.A.S.
उप शासन सचिव
प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव
तकनीकी शिक्षा विभाग
जयपुर।

सदस्य

4 श्री के. एल. शर्मा, R.Ac.S
मुख्य लेखाधिकारी
प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव
वित्त विभाग
जयपुर।

सदस्य

5 श्री सूरज भान जैमन, R.A.S.
कुलसचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

सदस्य

6 प्रो. भारत प्रकाश सुनेजा
परीक्षा नियंत्रक
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

सदस्य सचिव

7 डॉ. देवराज
वित्त अधिकारी

26/03

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, अकेलगढ़, कोटा– 324010

Ph No. -0744-2473092, 2473903 Fax No. 0744-2473903

वि.स.क्र. 2.1 : **वित्त समिति की प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27.4.07 को मध्यान्ह पश्चात् कुलपति कक्ष में प्रोफेसर दामोदर शर्मा, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक का कार्यवाही विवरण पत्रांक एफ(3)लेखा / 3 / 07 / 1738–42 दिनांक 23.5.07 द्वारा प्रसारित किया गया। कार्यवाही विवरण जो कि परिशिष्ट I पृष्ठ संख्या 15 से 28 पर उपलब्ध है, पुष्टि हेतु प्रस्तुत हैं। समिति द्वारा पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 2.2 : **प्रथम वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.4.07 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन**

समिति के अनुसार वि.स.क्र.1 अन्य बिन्दु क्र.4जो कि University Development Fee से सम्बन्धित हैं के क्रम में जारी आदेश क्रमांक No.RTU/F(17)Acad.1/1.4/06/7502-668 Date 10.10.07, वर्ष 2006–07 के सम्बन्ध में स्पष्ट नही हैं। अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि बोर्ड में लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इसे स्पष्ट करने हेतु कुलपति महोदय निर्णय ले तथा बोर्ड को अवगत करवाएं। शेष बिन्दु समिति द्वारा अनुमोदित किये गए।

वि.स.क्र. 2.3 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2008–09 का अनुमानित एवं वर्ष 2007–08 का संशोधित बजट अनुमोदन के संदर्भ में।**

राज्य सरकार की बजट निर्णायक समिति द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वर्ष 2008–09 का अनुमानित बजट 565.00 लाख रू. (ब्लॉक ग्राण्ट) स्वीकृत किये गये हैं एवं वर्ष 2007–08 का संशोधित बजट भी 565.00 लाख रू. का स्वीकृत किया गया हैं जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

26/03

वि.स.क्र. 2.4

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के आयोजना मद वर्ष 2008–09 के अनुमानित बजट एवं 2007–08 के संशोधित बजट के अनुमोदन के सम्बन्ध।

राजस्थान तक़नीकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2008–09 का आयोजना बजट राज्य सरकार के आयोजना विभाग द्वारा 95.00 लाख रू. का स्वीकृत किया हैं एवं वर्ष 2007–08 का संशोधित बजट 361.00 लाख रू. का स्वीकृत किया हैं जो कि परिशिष्ट VIII पृष्ठ संख्या 37 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विश्विधालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक राशि 374.00 लाख रू. का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित हैं (भवन निर्माण हेतु 275.00 लाख रू. शामिल करते हुए)।
समिति द्वारा अवलोकन किया जाकर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 2.5

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय का वर्ष 2008–09 का अनुमानित बजट एवं संशोधित बजट 2007–08 वर्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2007–08 का अनुमानित बजट 1287.93 लाख रूपये प्रथम वित्त सिमिति की बैठक में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2007–08 का संधोधित बजट 1112.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2008–09 का अनुमानित बजट 2210.35 लाख रूपये अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट IX पृष्ठ संख्या 38 से 46 पर संलग्न हैं।
समिति द्वारा अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 2.6

विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का फर्नीचर क्रय करने के क्रम में :–

केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी विभागाध्यक्षों को भी आमन्त्रित किया गया था। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय में गुणवत्ता के फर्नीचर क्रय के क्रम में 'गोदरेज' का फर्नीचर क्रय किया जाना चाहियें। तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार गोदरेज का फर्नीचर क्रय करना प्रस्तावित हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार विशिष्ट मेक या ब्राण्ड के मदों को सरकार द्वारा गठित विभागीय क्रय समिति द्वारा विस्तृत कारणों को अभिलिखित करते हुए खरीदा जा सकेगा, अन्य मामलों मे सरकार के वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार वित्त समिति में सचिव स्तर के दो अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः प्रकरण अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष रखा गया है।
समिति निर्णय करती है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानो के अनुसार क्रय करने की कार्यवाही की जाए।

वि.स.क्र. 2.7 **क्रय समितियों का गठन :–**

विश्वविद्यालय में वर्तमान में 50,000 तक के प्रकरणों तथा 50,000 से अधिक के प्रकरणों हेतु 2 भण्डार क्रय समितियों का गठन आदेश संख्या 10423–54 दिनांक 24.02.07 द्वारा किया गया जो कि पृष्ठ ..... पर उपलब्ध हैं। भण्डार क्रय समिति की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निम्नानुसार तीन प्रकार की भण्डार क्रय समितियों का गठन प्रस्तावित हैं:–

1 50000/– तक क्रय करने हेतु (कार्यालयाध्यक्ष स्तर)

1)	कार्यालयाध्यक्ष	अध्यक्ष
2)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष /अनुभाग अधिकारी	सदस्य सचिव
3)	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	सदस्य

2 50001/– से 1000000 तक क्रय करने हेतु (केन्द्रीय स्तर पर)

1)	कुलपति के प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष	सदस्य
3)	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
4)	सहायक कुलसचिव क्रय	सचिव

3 10 लाख से अधिक क्रय करने हेतु (केन्द्रीय स्तर पर)

1)	प्रतिकुलपति/कुलपति के प्रतिनिधि (प्रोफेसर के रेंक में)	अध्यक्ष
2)	कुल सचिव	सदस्य
3)	वित्त अधिकारी	सदस्य
4)	सम्बन्धितकार्यालयाध्यक्ष/सम्बन्धितविभागाध्यक्ष	सदस्य
5)	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
5)	सहायक कुल सचिव क्रय	सचिव

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 10 लाख रू. से अधिक की क्रय समिति के अध्यक्ष कुलपति /प्रतिकुलपति होंगे। 50 हजार रू. से 10 लाख रू. तक की क्रय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रेंक के कुलपति के प्रतिनिधि होंगे तथा उप/सहायक कुलसचिव क्रय समिति के सचिव होंगे।

वि.स.क्र. 2.8 **माननीय कुलपति निवास की सुसज्जा पर किया गया व्यय :–**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(3) के अनुसार माननीय कुलपति महोदय को निःशुल्क सुसज्जित आवास उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2007–08 में माननीय कुलपति महोदय के निवास को सुसज्जित करने हेतु सीमित निविदा के

माध्यम से एक वाशिंग मशीन तथा एक फूड प्रोसेसर क्रय किया गया। जिस पर कुल राशि रू. 32700 (27500+5200) का व्यय हुआ। उक्त व्यय सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

समिति द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 2.9 **परामर्श शुल्क एवं परीक्षण शुल्क के नियम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निजी एवं राजकीय क्षेत्रों मे विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं का परामर्श एवं परीक्षण सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। उक्त से परामर्श शुल्क एवं परीक्षण शुल्क के नियम प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक के लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं। परामर्श शुल्क एवं परीक्षण शुल्क सम्बन्धी नियम एवं विस्तृत विवरण परिशिष्ट X पृष्ठ संख्या 47 से 63 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय द्वारा गठित एक समिति प्रस्तावित नियमों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा इस समिति में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी भी सदस्य होंगे।

Head Civil
to
Registrar

वि.स.क्र. 2.10 **प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपोजिट) बैंक गारंटी के रूप में लेने के क्रम में।**

सफल निविदादाताओं द्वारा सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में बैंक गांरटी लेने हेतु निवेदन किया जाता रहा हैं। इसी क्रम में 10.00 लाख से अधिक की निविदा पर निविदादाता से बैंक गारंटी के रूप में सिक्यूरिटी डिपोजिट लिया जाना प्रस्तावित हैं।

समिति निर्णय करती है कि 10 लाख रू. से अधिक की निविदा पर सफल निविदा दाता से विकल्प के तौर पर बैंक गारंटी भी सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में ली जा सकती हैं।

As per
GF&AR

वि.स.क्र. 2.11 **क्रय आदेश के अभाव में फर्नीचर राशि रू. 39105/- का क्रय।**

विश्वविद्यालय की क्रय समिति की बैठक दिनांक 19.07.07 की कार्यवाही विवरण के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रारम्भ काल में तत्कालीन आवश्यकता (Urgency) को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के लिए सीधे ही निर्माता फर्म से रूपये 39105/- का फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया था। फर्नीचर की आपूर्ति हो चुकी हैं तथा फर्नीचर की गुणवत्ता संतोषप्रद हैं परन्तु फर्म को क्रय आदेश के अभाव में भुगतान अभी तक नही किया गया हैं। सामग्री के सम्बन्ध में

पोस्ट फेक्टो क्रय आदेश जारी कर फर्म को भुगतान करने हेतु वित्त समिति से अनुमोदन प्रस्तावित हैं।
समिति द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 2.12 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आर.पी.ई.टी., आर. मेट, रेम केट (RPETEAP 2007, RMAT, RMCAAT) प्रवेश परीक्षाओ की शेष राशि का उपयोग करने के सम्बन्ध में।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं जैसे आर.पी.ई.टी., आर. मेट, रेम केट वर्ष 2007 से प्रारम्भ की गई हैं। अतः उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं की बची हुई निम्नानुसार राशि को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की आय मानते हुए (बजट में राशि सम्मिलित करते हुए) उपयोग करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं। **RPETEAP** से 100 लाख रू., **RMAT** से 45 लाख रू. एवं **RMCAAT** से 5 लाख रू. कुल 150 लाख रू. प्राप्त होंगे।
वित्त समिति सिफारिश करती है कि प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रशासनिक विभाग को भिजवा दिया जाएं।

वि.स.क्र. 2.13 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शिक्षण शुल्क राशि पुर्नभरण करने के सम्बन्ध में।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उक्त शिक्षण शुल्क के पुर्नभरण केवल उन कर्मचारियों को किया जावेगा जो आयकर दाता नही हैं एवं पुर्नभरण दो बच्चो तक सीमित रहेगा तथा प्रत्येक का 100/– रू. प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की तृतीय बैठक के निर्देशानुसार वित्त समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।
समिति प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंसा करती हैं।

वि.स.क्र. 2.14 **स्ववित्त पोषित MBA पाठ्यक्रम के सम्बध में।**

स्ववित्त पोषित MBA पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में तैयार किये गये बजट प्रावधान परिशिष्ट XI पृष्ठ संख्या 64 पर अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। MBA पाठ्क्रम मे संलग्न व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक व भत्ते से सम्बन्धित आदेश परिशिष्ट XII पृष्ठ संख्या 65 से 67 पर अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षको को प्रति लेक्चर (Lecture) 400 रू. तथा प्रति Tutorial 200 Rs. प्रदान किया जायेगा तथा कार्यदिवस में कक्षा लेने पर Conveyance देय नही होगा। एक शिक्षक द्वारा एक माह मे अधिकतम 20 Lecture/[redacted] ही लिये

जायेगे। वित्त समिति निर्णय करती है कि कार्यालय आदेश क्रमांक RTU/F44/Gr.1/07/4965-69 date 20.02.07 को वापस (Withdraw) लिया जाएं। समिति द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है कि वास्तविक अतिरिक्त कार्यघण्टो के आधार पर अधिकतम 10 कार्मिको को अधिकतम 900 रू. प्रतिमाह तथा न्यूनतम 400 रू. प्रतिमाह प्रति कार्मिक Administrative Honoranium प्रदान किया जा सकता हैं। आदेश क्रमांक RTU/UCE/MBA/F(44)/08/123 date 22.02.08 के केवल बिन्दु संख्या 7,8,9 का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि अधिकतम 5 विद्यार्थियों की राशि ही एक शिक्षक को प्रति सत्र देय होगी।

वि.स.क्र. 2.15 **स्ववित्त पोषित ME पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में।**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2.14 व 2.15 समिति Director (UCE) FO Registrar

स्ववित्त पोषित ME पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में तैयार किया गया बजट प्रावधान परिशिष्ट XIII पृष्ठ संख्या 68 से 69 पर अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। ME पाठ्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक व भत्ते सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट XIV पृष्ठ संख्या 70 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षको को प्रति लेक्चर (Lecture) 400 रू. तथा प्रति Tutorial/Practical per hour 200 Rs. प्रदान किया जायेगा तथा कार्यदिवस में कक्षा लेने पर Conveyance देय नही होगा। समिति द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है कि वास्तविक अतिरिक्त कार्यघण्टो के आधार पर अधिकतम केवल 10 कार्मिको को अधिकतम 900 रू. प्रतिमाह तथा न्यूनतम 400 रू. प्रतिमाह प्रति कार्मिक Administrative Honoranium प्रदान किया जा सकता हैं।

वि.स.क्र. 2.16 **अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट)**

वित्तीय वर्ष 2006–07 के अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा के सोसायटी एवं नॉन–सोसायटी खातों का सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण कर अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। सितम्बर 2006 में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाया जा चुका हैं अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट XV पृष्ठ संख्या 71 से 108 पर संलग्न हैं।

वित्त समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 2.17 **परीक्षा सम्बन्धी कार्यो में अनियमितता के लिए महाविद्यालयों पर आरोपि[त] आर्थिक दण्ड**

विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा समय समय पर परीक्षा सम्बन्धी कार्य मे बरत[ी] जा रही अनियमितताओ, नियमो की अवेहलना, निर्देशो का उल्लघंन, का

समापन मे देरी आदि विभिन्न कारणो से आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया जाता रहा है ।

हाल ही में सम्पन्न परीक्षा/प्रवेश के दौरान विभिन्न महाविद्यालयो पर आर्थिक दण्ड लगाया गया था। कुछ महाविद्यालयो द्वारा इसे जमा करवा दिया गया है, जबकि कुछ महाविद्यालयो से यह राशि वसूल की जानी है। समय समय पर निर्धारित किए गऐ आर्थिक दण्ड़ कमेटी के समक्ष रिपोर्टिंग हेतु प्रस्तुत हैं ।
समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

वि.स.क्र. 2.18 **परीक्षा सम्बन्धी कार्यो हेतु देय यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी**

विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियो, शिक्षको आदि को विभिन्न परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु समय समय पर बाहर भेजा जाता है। परीक्षा सम्बन्धी कार्य को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न कर्मचारियो, अधिकारियो को कार्य के अनुसार परीक्षा सम्बन्धी सामग्री की सुरक्षा व गोपनीयता सुनिश्चित करने सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जिसे निर्धारित समय मे सम्पन्न करना आवश्यक होता है। इस दौरान कार्य को सम्पन्न करने के निमित्त सम्बन्धित व्यक्ति को निरन्तर अपने मोबाईल पर विभिन्न महाविद्यालयो/परीक्षा केन्द्रो/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से सम्पर्क भी करना पड़ता है ।
परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु निम्न दरें पूर्व में निर्धारित की गई :–

स्पेशल डी0 ए0 : राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के अनुसार देय राशि का डेढ़ गुना।

होटल प्रभार की दरें (स्टे हेतु)

1)शिक्षको/अधिकारियो के लिए	300/–प्रतिदिन की सीमा में, बिल प्रस्तुत करने पर
2)अशैक्षणिक कर्मचारियो के लिए	150रू0 प्रतिदिन की सीमा में,बिल प्रस्तुत करने पर।

किन्तु परीक्षा सम्बन्धी कार्य की महत्ता/गंभीरता को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त स्वीकृत दरो के अतिरिक्त निम्नानुसार मानदेय का प्रावधान भी किया जाना उचित होगा ताकि कार्य सम्पन्न करवाने हेतु शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियो की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

1) शिक्षक/अधिकारी	रू0 300/–प्रतिदिन
2) कर्मचारी	रू0 200/–प्रतिदिन

3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रू0 150/–प्रतिदिन

प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति निर्णय करती है कि परीक्षा सम्बन्धी अत्यावश्यक/गोपनीय कार्यो हेतु की जाने वाली यात्राओं को Hard Duty मानते हुए Daily Allowance नए राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में निर्धारित राशि का डेढ गुना देय होगा। अन्य प्रावधान नए राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसरार ही लागू होंगे। यात्रा के दौरान विभिन्न व्यक्तियों से दूरभाष/मोबाइल पर सम्पर्क करना पडता हैं अतः अधिकतम 50. रू. प्रतिदिन का पुर्नभरण Selfundertaking के आधार पर किया जायेगा।

वि.स.क्र. 2.19 **कोरपस फण्ड (CORPUS FUND) का गठन**

कई विश्वविद्यालय बेलगांव स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय की तरह कोरपस फण्ड (CORPUS FUND) का गठन करते हैं। इस फण्ड का उपयोग आकस्मिक खर्चो के लिए किया जाता हैं। फण्ड के ब्याज का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे खर्चो के लिए किया जाता हैं जिनके लिए कोई अलग से बजट प्रावधान उपलब्ध नही होता हैं। प्रारम्भ में इस फण्ड में 10 करोड़ रू. स्थानान्तरित करना प्रस्तावित हैं। फण्ड का प्रस्ताव परिशिष्ट XVI पृष्ठ संख्या 109 पर उपलब्ध हैं। फण्ड के विस्तृत नियम बाद में तैयार किए जाऐंगे।

समिति सैद्धान्तिक रूप से सहमत हैं। किसी भी प्रकार के फण्ड के गठन तथा राशि हस्तान्तरण से पूर्व दायित्वो का पूर्ण विवरण बोर्ड में रखा जाएं। इस दौरान नियम बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती हैं।

वि.स.क्र. 2.20 **छठे वेतन आयोग एवं केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अर्न्तगत देय राशि का बजट में प्रावधान।**

छठे वेतन आयोग के अर्न्तगत नए वेतनमानो की घोषणा आगामी वित्तीय वर्ष में सम्भावित हैं। इसके अतिरिक्त केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अर्न्तगत देय बकाया का भुगतान भी किया जाना हैं। इन दोनो के लिए वेतन मद में 2 करोड रू. का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैं। इसका विवरण परिशिष्ट XVI पर उपलब्ध हैं।

समिति द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्णय ले।

वि.स.क्र. 2.21 **परीक्षा प्रश्नपत्र के परीक्षक तथा विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक की दरो में बढ़ोतरी बाबत्।**

तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रो के लिए पेपर सेटर को देय पारिश्रमिक में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित हैं जिससे पेपर सेटर को इस कार्य हेतु प्रेरित किया जा सके। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण सदस्यों को बैठक के समय उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
वित्त समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों की दरो के तुलनात्मक विवरण के आधार पर नई दरो का प्रस्ताव बोर्ड मे रखा जावे। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा समिति का गठन किया जा सकता हैं।

CoE द्वारा तुलनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

Tabel Agenda

कुलपति के विशिष्ट अधिकारी के पत्रांक VCS/F.1/3/(2.2)/08/4145 date 24.03.08 द्वारा प्रेषित Tabel Agenda जिसमे कि 10 बिन्दु थे तथा परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रस्तुत Tabel Agenda जिसमे कि 6 बिन्दु थे, विचारार्थ रखा गया।

वित्त समिति द्वारा इस पर यह निर्णय लिया गया कि निम्न समिति Tabel Agenda के बिन्दुओं पर विचार कर अपनी अनुशंसा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें :–

- I प्रति कुलपति
- II कुलसचिव
- III वित्त अधिकारी
- IV परीक्षा नियंत्रक

26/03/2008

(Hon'ble V.C) Finance Officer (Pro. R.C. Mishra) Pro V.C. (Sh. S.B. Jaiman) Registrar (Pro. B.P. Suneja) CoE (Sh. R. ... Shar... Chief Ac... Officer C... and Nomin... of Finance ...)